



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचारविश्वविद्यालय,
.....University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.53(1)आरबी/2019/4411

दिनांक : 11 अगस्त, 2025

आदेश

मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2019 की धारा 11(3) व 11(7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ।

यह नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतर्कता अनापत्ति प्रस्तुत करने के अधीन होगी।

— हस्ता. —

(हरिभाऊ बागड़े)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, पूर्व विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
6. कुलगुरु, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. कुलसचिव, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान